रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 23, 1983/वैसाख 3, 1905
No. 65] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 23, 1983/VAISAKHA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 14 आई० टी० सी० (पी०एम)/83

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1983

विषय :—1983-84 के लिए आयात-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक

सिसिल सं० आई० टी० सी० (हेंडबुक)/अध्याय, 1/83-84.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 11—आईटीसी (पीएन)/83 दिनांक 15 अप्रैल 1983 के अधीन प्रकाशित 1983–84 के लिए आयात-निर्यात क्रिया-विधि पुस्तक की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उक्त पुस्तक में निम्नलिखित शुद्धियां नीचे संकेतित उपयुक्त स्थान पर की गयी समझी जाएंगी:—

क्र० सं०	1983-84 की आयात निर्यात क्रियाविधि पुस्तक की पृष्ठ सं०	संदर्भ	शुद्धियां
1	253	परिशिष्ट 31 एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स के माध्यम से आयात	कंडिका 2 संशोधित कर इस प्रकार से पढ़ी जाएगी :— "2 यह सुविधा कच्चे माल/संघटकों/कालसू पुर्जों/उपभोज्य सामग्री के आयात के लिए जारी किए गए वास्तविक 'उपयोक्ता' लाइसेंसों और पूंजीगत माल/एच० ई० पी० के० आयात के लिए लाइसेंसों के मामले में भी उपलब्ध होगी"।

रोमा मजूमदार, मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 14-ITC(PN)/83

New Delhi, the 23rd April, 1983

Subject : Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84.

Issued from File No. ITC(HB)/ Chapt.1/83-84—Attention is invited to the Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84 published under the Ministry of Commerce Public Notice No 11-ITC(PN)/83 dated the 15th April, 1983.

2 The following correction shall be deemed to have been made in the said Hand Book at appropriate place indicated below :-

Sl. No.	Page No. of Hand Book of Import-Export Procedures, 1983-84	Reference	Correction
1.	253	Appendix 31 Import Through Air India/Indian Air Lines	Para 2 shall be amended to read as under :— '2. This facility will also be available in the case of 'Actual User' Licences issued for import of raw materials/components/spares/consumables and import licences for Capital Goods/H.E.P.'

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110054
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983